


26/08/21

पत्रावली पेश हुई / जिस पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप  
लागकर यह मुंबई की प्रार्थना पत्र पेश किया गया है,  
उनकी दिनांक 31.08.2021 को सेवासिद्धि हो रही है / एसी  
स्थिति में 5 दिन के लिये पत्रावली को अन्य किसी  
न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं है।  
पत्रावलियों में नियमित सुनवाई होना आवश्यक है। इसलिए  
अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को वापिस भिजवाया  
जाना उचित है ताकि नवीन चरस्थापित होने वाले अधिकारी  
द्वारा इस प्रकार की पत्रावलियों में नियमित सुनवाई  
की जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खोजा किया जाना है।  
निर्णय की प्राप्ति पर सहित अधीनस्थ न्यायालय का  
अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर बाद तकमील दाखिल इफतल हो। उभय पक्षकारान  
दिनांक 01.09.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
नाहौली में उपस्थित हो।

  
जिला कलक्टर  
कोरोली